भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4300

दिनांक 20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी

4300. श्री गिरिधारी यादव:

श्री रामप्रीत मंडल:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि अनेक अस्पताल लाभार्थियों के पास आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद उनका उपचार करने से मना कर देते हैं और उन्हें धन जमा करने के लिए बाध्य करते हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार, सरकारी या निजी अस्पताल होने पर ध्यान दिए बिना ऐसे अस्पतालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएएवाई) के अंतर्गत, पैनल में शामिल होने की शर्तों के अनुसार, अस्पताल इस योजना के पात्र लाभार्थियों को उपचार देने से इनकार नहीं कर सकते। पैनल में शामिल अस्पताल द्वारा उपचार देने से इनकार किए जाने की स्थिति में, लाभार्थी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एबी-पीएमजेएएवाई के अंतर्गत, स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का उपयोग करने में लाभार्थियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को हल करने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तीन-स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली बनाई गई है। प्रत्येक स्तर पर शिकायतों के समाधान के लिए एक समर्पित नोडल अधिकारी और शिकायत निवारण समितियां हैं।

लाभार्थी वेब आधारित पोर्टल, केन्द्रीयकृत शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली (सीजीआरएमएस), केन्द्रीय एवं राज्य कॉल सेंटर (14555), ईमेल, राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों को पत्र (एसएचए) आदि सहित विभिन्न माध्यमों

का उपयोग करके अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। शिकायत की प्रकृति के आधार पर, योजना के तहत उपचार प्राप्त करने में लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने सहित आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

इसके अलावा, उचित मामलों में, धोखाधड़ी करने वाली संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई (जैसे पैनल से हटाना, दोषी अस्पतालों पर जुर्माना लगाना, निलंबन, चेतावनी पत्र जारी करना, एफआईआर दर्ज करना) करने के प्रावधान राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों के पास उपलब्ध हैं।

निजी अस्पतालों जिनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई है, जैसे अस्पताल का निलंबन, चेतावनी पत्र जारी करना और अस्पताल को पैनल से बाहर करना, का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अस्पतालों की संख्या
आंध्र प्रदेश	39
असम	1
बिहार	1
चंडीगढ़	2
छत्तीसगढ़	4
गोवा	1
गुजरात	5
हरियाणा	7
जम्मू और कश्मीर	42
झारखंड	6
कर्नाटक	49
केरल	8
मध्य प्रदेश	127
पंजाब	11
राजस्थान	10
तमिलनाडु	25
उत्तर प्रदेश	542

नोट: डेटा दिनांक 30.11.2024 के अनुसार

*****